SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन : लोकतांत्रिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में

कमल कान्त जोशी, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग,
राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर, उत्तराखंड, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author

कमल कान्त जोशी, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग,
राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
काशीपुर, उत्तराखंड, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 01/02/2022
Revised on : -----
Accepted on : 09/02/2022
Plagiarism : 04% on 02/02/2022

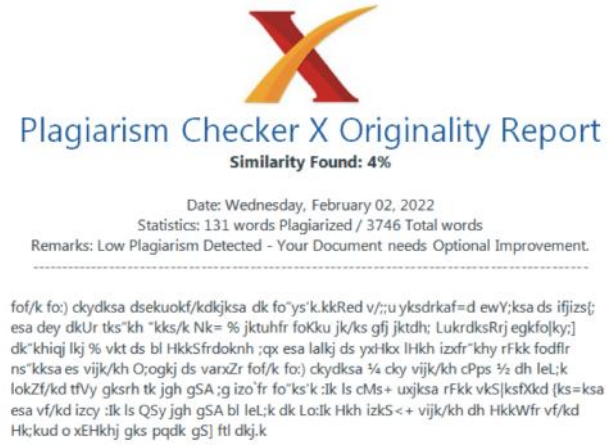
Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 4%

Date: Wednesday, February 02, 2022
Statistics: 131 words Plagiarized / 3746 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

fof/k fo:) ckydksa dsekuokf/kdkjksa dk fo"ys'k.kkRed v/;;u yksdrkaf=d ewY;ksa ds ifjizs[; esa dey dkUr tks"kh "kks/k Nk= % jktuhfr foKku jk/ks gfj jktdh; LukrdksRrj egkfo|ky;] dk"khiqj lkj % vkt ds bl HkkSfrdoknh ;qx esa lalkj ds yxHkx lHkh izxfr"khy rFkk fodflr ns"kksa es vijk/kh O;ogkj ds varxZr fof/k fo:) ckydksa ¼ cky vijk/kh cPps ½ dh leL;k lokZf/kd tfVy gksrh tk jgh gSA ;g izo`fr fo"ks'k :Ik ls cMs+ uxjksa rFkk vkS|ksfXkd {ks=ksa esa vf/kd izcy :Ik ls QSy jgh gSA bl leL;k dk Lo:Ik Hkh izkS<+ vijk/kh dh HkkWfr vf/kd Hk;kud o xEHkhj gks pqdk gS] ftl dkj.k

शोध सार

आज के इस भौतिकवादी युग में संसार के लगभग सभी प्रगतिशील तथा विकसित देशों मे अपराधी व्यवहार के अंतर्गत विधि विरूद्ध बालकों (बाल अपराधी बच्चे) की समस्या सर्वाधिक जटिल होती जा रही है। यह प्रवृति विशेष रूप से बड़े नगरों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक प्रबल रूप से फैल रही है। इस समस्या का स्वरूप भी प्रौढ़ अपराधी की भाँति अधिक भयानक व गम्भीर हो चुका है, जिस कारण बच्चे गलत मार्ग पर चल कर पतन की ओर अग्रसित होते जा रहे हैं। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 39 प्रतिशत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का है। बच्चों के अपराध की ओर आकर्षित होने के कई कारण हो सकते हैं, मगर सामुदायिक व्यवस्था व परिवार का विघटन, असंगठित नगरीकरण व गरीबी इसके प्रमुख कारण हैं।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 2(13) के अनुसार 'विधि विरूद्ध बालकों/बच्चों की संज्ञा उन्हें दी गयी है, जिन्होंने अपराध के दिन तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है और उन पर आरोप है कि उन्होंने कोई अपराध किया है या अपराध करने का आरोप उन पर लगा है'।

विधि विरूद्ध बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु लोकतांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत आजादी के बाद अनेक प्रावधान किए गए हैं: जैसे राष्ट्रीय बाल नीति 1974/2013, बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005, किशोर न्याय अधिनियम 2015 तथा किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 जिनमें बच्चों के समानता, स्वतंत्रता, जीवन जीना, सहभागिता तथा न्याय जैसे अनेक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 15, 24, 39(ङ) 39(च), 47 तथा 51(क) में विधि विरूद्ध बच्चों के अधिकारों के संबंध में

प्रावधान किए गए हैं जो सुखमय जीवन जीने हेतु आवश्यक हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों की शुरूआत फ्रांसीसी क्रांति के गर्भ से मानी जाती है जो किसी देश व समाज की प्रगति के आदर्श मानक होते हैं जो उसे सर्वसमावेशी, न्यायिक एवं लोकतांत्रिक बनाते हैं।

मुख्य शब्द

किशोर न्याय, मानवाधिकार, विधि विरूद्ध बच्चे, बाल अधिकार प्रसंविदा.

प्रस्तावना

आज के इस भौतिकवादी युग में संसार के लगभग सभी प्रगतिशील तथा विकसित देशों मे अपराधी व्यवहार के अंतर्गत विधि विरूद्ध बच्चों (बाल अपराधी बच्चों) की समस्या सर्वाधिक जटिल होती जा रही है। यह प्रवृति विशेष रूप से बड़े नगरों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक प्रबल रूप से फैल रही है। इस समस्या का स्वरूप भी प्रौढ़ अपराधी की भाँति अधिक भयानक व गम्भीर हो चुका है, जिस कारण बच्चे गलत मार्ग पर चल कर पतन की ओर अग्रसित होते जा रहे हैं।

बच्चों में प्रौढ़ व वयस्कों की तरह सोचने एवं समझने की क्षमता विद्यमान नहीं होती है। यही कारण है कि विधि विरूद्ध बच्चों अर्थात् बाल अपराधियों को सामान्य कानून के दायरे से बाहर रखा जाता है। इन सब को ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत संविधान में भी बालकों के लिए विशेष उपबंध किए गए है। भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 82 में बालकों अथवा किशोरों को जिनकी आयु 7 वर्ष से कम है, उनको आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है।

- धारा 83 में 7 वर्ष से अधिक एवं 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कृत्यों को तभी अपराध माना गया है, जब ऐसे व्यक्तियों की समझ परिपक्व हो।

समाज का मूल ध्येय हमेशा बच्चों को सुधरने का अवसर उपलब्ध कराना रहा है। यदि वर्तमान में अपराधिक कृत्यों में लिप्त बच्चों को सुधरने का अवसर उपलब्ध नहीं कराया जाऐगा तो सम्भव है कि वह भविष्य में सही मार्गदर्शन के अभाव में अपराध जगत में प्रवेश करेंगे। इस हेतु लोकतांत्रिक मूल्यों को मद्देनजर रखते हुए उचित कदम उठाने की आवश्यकता महसूस होती है।

भारत ने बच्चों से संबधित 6 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अनुबंधो पर हस्ताक्षर किए है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(1) सी, जिसमें राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों व संधि के दायित्वों के सम्मान को प्रोत्साहित करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 253 संसद को अधिकृत करता है कि वह भारत द्वारा पुष्टि की गई इन संधियों को क्रियान्वित करने के लिए कानूनों का निर्माण करें।

बच्चों के अधिकारों के संदर्भ में यदि हम विश्व पटल पर दृष्टि डालें संयुक्त राष्ट्र संघ का बाल अधिकार समझौता बच्चों के सरंक्षण पाने के अधिकार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य समझौते भी बच्चों के अधिकारों के संरक्षण में सहायक है जैसेः अफ्रीका संघ का बाल अधिकार व कल्याण सम्बंधी घोषणा,1990।

- अंतर्राष्ट्रीय मानवीयता कानून (1949) संबंधी जिनेवा संधियों व उनके अतिरिक्त प्रोटोकॉल।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम समझौता, संख्या 138 (1973) जिसमें कहा गया कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को स्वास्थ्य अथवा विकास के लिए हानिकारक नौकरी में नहीं रखा जाएगा।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का मूल ध्येय आम जनमानस को लोकतांत्रिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में विधि विरूद्ध बालकों को प्राप्त अधिकारों से परिचित कराना है।

विधि

प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से जानकारियों का संकलन कर उनका विश्लेषणात्मक वर्णन किया गया है।

परिकल्पना

बच्चे प्रत्येक राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति है, देश व समाज का भविष्य बच्चों के समुचित संरक्षण व विकास पर निर्भर करता है। विधि विरूद्ध बच्चों के मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु समाज को सामुहिक प्रयास करने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

प्रस्तुत शोध पत्र 'विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन लोकतांत्रिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में' को निम्न बिन्दुओं के आधार पर रेखांकित किया गया है:

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि।
2. लोकतांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत किशोर न्याय में विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकार।
3. भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकार।

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के सर्वागीण विकास और उन्हें देश का सुयोग्य नागरिक बनाने के लिये सदैव से प्रयास किए जाते रहे हैं। इस सबंधं में हमारे देश में 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से विशेष प्रयास प्रारम्भ किए गए। आजादी से पूर्व ब्रिटिश शासनकाल में सुधार विद्यालय अधिनियम, 1876 इस दिशा में पहला ठोस प्रयास था, इसे बाद में सन 1897 में संशोधित किया गया था। इस कानून में बाल – अपराधियों को औद्योगिक प्रशिक्षण देने की बात कही गयी थी। बाद के वर्षो में भारतीय दण्ड संहिता 1898 की धारा– 562 में विशेष रूप से बच्चों एवं युवा अपराधियों को सद्व्यवहार बनाए रखने के लिये परिवीक्षा पर रिहा करने का प्रावधान किया गया था।

वर्ष 1919 में ए.जी. काडर्यू की अध्यक्षता में बनी भारतीय जेल कमेटी की रिपोर्ट में सर्वप्रथम बाल अपराधियों को बड़े अपराधियों से अलग रखने का सुझाव दिया गया था। इस संबंध में भारतीय जेल कमेटी 1919–1920 की रिपोर्ट के अनुसार, युवा अपराधियों के लिये अलग से उपचार की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। तदनुसार 1920, 1922 एवं 1924 के वर्ष में क्रमशः मद्रास, बंगाल और बंबई की सरकारों द्वारा बाल अधिनियम बनाए गए थे, जिनका मूल ध्येय बच्चों की रक्षा, संरक्षण एवं युवा अपराधियों को उचित उपचार प्रदान करना था।

स्वतंत्रता के बाद इस क्षेत्र में और भी अनेक प्रयास किए गए। भारत संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार घोषणा 1959 का एक पक्षकार है, इसके अनुसार वर्ष 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति अंगीकार की गयी। वर्तमान में राष्ट्रीय बाल नीति 2013 स्थापित है, इस नीति में बच्चों के जन्म से पूर्व और उपरांत तथा उसके पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होने तक की अवधि में समुचित सेवाओं के संवैधानिक प्रावधानों की पुष्टि की गई है। भारत ने बच्चों की उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास संबंधी विश्व घोषणा पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

बच्चों के अधिकारों के संदर्भ में यदि हम विश्व पटल पर दृष्टि डाले तो 1923 में एग्लेंटीन जेब द्वारा गठित अंतर्राष्ट्रीय बच्चा बचाओं यूनियन ने एक मसौदा तैयार किया, जिसे 1924 में लींग ऑफ नेशन्स ने अंगीकार किया जिसे 'जिनेवा घोषणा पत्र' 1924 के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत बच्चों को स्वास्थ्य, भोजन व शोषण से मुक्ति की उपलब्धता प्रदान की गयी।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के मानवाधिकारों के परिपेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र के अनुच्छेद 25 में बच्चों को विशेष देखभाल की उपलब्धता की बात कही गयी है। बच्चे चाहे जैसे पैदा हुए हों, वे समान सामाजिक सुरक्षा के हकदार है। वर्ष 1959 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सामान्य जन सभा में बच्चों के अधिकार घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 1985 में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु बीजिंग नियम तथा बच्चों के अधिकारों के

लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार प्रसंविदा 1989 को स्वीकार किया गया। बाल अधिकार प्रसंविदा 1989 का विश्व के अधिकांश देशों ने अनुमोदन किया है, भारत ने वर्ष 1992 में इस समझौते की पुष्टि की। भारत सरकार द्वारा बाल अधिकार अधिवेशन संधि में वर्णित अनुच्छेदों के अनुसरण में किशोर न्याय अधिनियम 2015 लागू किया गया है।

2. लोकतांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत किशोर न्याय में विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकार

जब कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, वह समाज विरोधी कार्य जैसे – चोरी, मारपीट, तस्करी, लैंगिक उत्पीड़न, हत्या या अन्य कोई ऐसे कामों में संलग्न पाया जाता है, तो वह बच्चा कानून की दृष्टि में विधि विरूद्ध या विधि विवादित बच्चे की श्रेणी में आता है। इस प्रकार के बच्चों की न्यायिक प्रक्रिया किशोर न्याय बोर्ड में सम्पन्न की जाती है। कानून के अनुसार ऐसे बच्चों को प्रारम्भ से ही आपराधिक प्रकृति का दोषी नहीं माना जाता है।

न्यायिक पहलः किशोर न्याय अधिनियम 2015, धारा 2(13) के अनुसार विधि विरूद्ध बच्चे उन्हें माना गया है, जिन्होंने अपराध के दिन तक 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

लोकतांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकार किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुरूप

- धारा 10 के अनुसार बच्चे द्वारा समाज विरोध कृत्य करने के बाद पुलिस द्वारा उसे 24 घण्टे के भीतर किशोर न्यायालय में पेश करने का प्रावधान है। (विचार अभिव्यक्ति का अधिकार)
- धारा 12 के अनुसार जमानत पर रिहा करने का प्रावधान है। (व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार)
- धारा 13 के अनुसार बाल कल्याण अधिकारी द्वारा बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की तारीख व सूचना उसके माता–पिता या संरक्षक को दिए जाने का प्रावधान है।
- धारा 15 के तहत यदि किसी जघन्य अपराध की स्थिति में विधि विवादित बच्चे यानी कानून तोड़ने वाले बच्चे की उम्र 16 से ज्यादा 18 से कम है, तब किशोर न्यायिक बोर्ड बच्चे द्वारा ऐसा अपराध करने की मानसिक व शारीरिक क्षमता को मापने के लिए प्राथमिक मूल्यांकन करेगा।
- धारा 21 के तहत किसी भी बच्चे को अपराध के लिए छोड़े जाने की संभावना के बगैर मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकेगा। (जीवन जीने का अधिकार)
- धारा 74 के अनुसार विधि विरूद्ध बच्चों की पहचान को प्रकट नहीं करने का प्रावधान है। (निजता का अधिकार)
- धारा 82 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि बाल देखरेख संस्था का कोई भी कर्मी अनुशासन रखने के उद्देश्य से उसे दण्ड देता है तो उस स्थिति में उस पर 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड पड़ेगा।

किशोर न्याय आदर्श नियम, 2016

किशोर न्याय अधिनियम 2015 के धारा 110 की उपधारा 1 के अंतर्गत किशोर न्याय अधिनियम 2015 के उचित क्रियान्वयन हेतु इन आदर्श नियमों का निर्माण किया गया है, जिसमें कुल 94 नियम हैं। यह नियम देश में 21 सितम्बर 2016 से लागू हैं। इस नियम के अंतर्गत विधि विरूद्ध बच्चों को लोकतांत्रिक मूल्यों के अन्तर्गत निम्न अधिकार प्राप्त हैं:

- **नियम 30:** राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में रहने के दौरान बच्चों को कपड़े, बिस्तर और प्रसाधन के सामान की उपलब्धता का प्रावधान है।
- **नियम 31:** इस नियम के अंतर्गत यह प्रावधान है कि बच्चों को राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में स्वच्छता व सफाई की उपलब्धता प्राप्त होगी।
- **नियम 32:** इस नियम के अंतर्गत यह प्रावधान है कि बच्चों के जीवन को अनुशासित बनाने हेतु राजकीय

सम्प्रेक्षण में गृह में रोजमर्रा की क्रियाएं – इनमें निजी स्वछता, शारीरिक व्यायाम, व्यवसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन तथा नैतिक शिक्षा की उपलब्धता प्राप्त होगी।

- **नियम 33:** राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में रहने के दौरान बच्चों को भोजन की उपलब्धता प्राप्ति का प्रावधान है।
- **नियम 34:** इस नियम के अंतर्गत राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में रहने के दौरान बच्चों को चिकित्सा व्यवस्था की सुविधा प्राप्ति का अधिकार है।
- **नियम 35:** इस नियम के अंतर्गत राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु प्रशिक्षित सलाहकारों की सेवाएं, मनोवैज्ञानिक आंकलन और रोग निदान की व्यवस्था का प्रावधान है।
- **नियम 36:** इस नियम के अंतर्गत राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में बच्चे की आयु और क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्ति का अधिकार प्राप्त है।
- **नियम 37:** इस नियम के अंतर्गत राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में बच्चों को उनकी आयु, रूचि, क्षमता व योग्यता अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त है।
- **नियम 38(1):** इस नियम के अंतर्गत राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में रहने के दौरान बच्चों के मानसिक, बौद्धिक व शारीरिक विकास हेतु योग, ध्यान, संगीत, टेलीविजन, पिकनिक, बाहर जाना और सांस्कृतिक कार्यक्रम, बगीचे की देखरेख, पुस्तकालय,डांस आदि की व्यवस्था का अधिकार प्राप्त है।
- **नियम 74:** इस नियम के अंतर्गत बच्चों के अभिभावकों को राजकीय सम्प्रेक्षण में गृह बच्चों के रहने के दौरान उनसे मिलने का अधिकार प्राप्त है।
- **नियम 78:** यह नियम राजकीय सम्प्रेक्षण गृह के खुलापन व पारदर्शिता को रेखांकित करता है तथा नियम 78(1) जिसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक जो स्वैछिक संस्थाएं, सामाजिक कार्यकर्ता, अनुसंधानकर्ता और शिक्षक है, वे अध्ययन हेतु किशोर न्याय बोर्ड या प्रभारी व्यक्ति की अनुमति से यहाँ पर आ सकता है।

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (1966)

- अनुच्छेद 10(3) विधि विरूद्ध बच्चों को वयस्कों से अलग रखा जायेगा और उनके साथ किया जाने वाला व्यवहार उनकी आयु व कानूनी स्तर के अनुकूल होगा।
- अनुच्छेद 14(4) बच्चों के मामले में कानूनी प्रक्रिया उनकी आयु व पुर्नवास को ध्यान में रखकर अपनाई जाएगी।

बाल अधिकार समझौता 1989 के अनुसार विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकार

- **अनुच्छेद 24(1)** बच्चों को निरोगी काया का अधिकार प्राप्त है, उससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता।
- **अनुच्छेद 31(1)** बच्चों को विश्राम, अवकाश, मनोरंजन, कला–प्रवृत्तियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है।
- **अनुच्छेद 37(बी)** में कहा गया है कि किसी भी बच्चे को उसकी स्वतंत्रता से गैरकानूनी या मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जाएगा तथा बच्चे की गिरफ्तारी, हिरासत या जेल बंदी का सहारा सिर्फ अंतिम विकल्प के रूप में और अल्पतम उपयुक्त समय के लिए लिया जाएगा।
- **अनुच्छेद 37(सी)** के अनुसार बाल गृहों के कर्मचारियों द्वारा किए गए दुरूपयोग की प्रकृति भले ही उत्पीड़न की मान्यता दिलाने लालक गंभीर न हो फिर भी एकांत में कैद रखने का अर्थ बच्चों के साथ क्रुर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड ही माना जाएगा।
- **अनुच्छेद 39** में उत्पीड़न के शिकार बच्चों के पुनर्वास के अधिकार को बाल अधिकार समझौते में मान्यता दी गई है।
- **अनुच्छेद 40(1)** में कहा गया है कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे या दोषी माने गए हर बच्चे के साथ उसकी गरिमा और महत्व की भावना को प्रोत्साहित करने के अनुरूप ढंग से व्यवहार किया जाएगा, जिससे

मानव अधिकारों और दूसरों की बुनियादी स्वतंत्रताओं के प्रति बच्चे के मन में सम्मान बढ़े।

बाल अधिकारों और कल्याण के बारे में अफ्रीका घोषणा

अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि हर बच्चे को हर प्रकार के आर्थिक शोषण और ऐसा कोई भी काम करने से संरक्षण प्रदान किया जाएगा जो हानिकारक हो सकता है या बच्चे के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक विकास में हस्तक्षेप कर सकता है।

3. भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकार

धरातल पर जन्म लेने वाला प्रत्येक मानव अपनी जीवन यात्रा का आरम्भ एक अबोध शिशु के रूप में करता है। आज के बच्चे कल का भविष्य है इस आधार पर बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करना समाज का केन्द्रीय दायित्व बन जाता है क्योंकि बच्चे अपनी उपेक्षा और पीड़ा को ठीक ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते हैं और प्रौढ़ भी बच्चे समझकर उनकी भावनाओं को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना कि दिया जाना चाहिए यही से बच्चों के अधिकारों का हनन् होना प्रारम्भ हो जाता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोकतांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान में विधि विरूद्ध बच्चों से जुड़ी संवैधानिक प्रतिबद्धता को निम्न अनुच्छेदों के माध्यम से परिभाषित किया गया है:

- **अनुच्छेद 14:** भारत के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर विधि के समान संरक्षण का अधिकार।
- **अनुच्छेद 15:** प्रत्येक नागरिक को भेदभाव मुक्त जीवन जीने का अधिकार तथा महिलाओं व बच्चों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध का अधिकार प्राप्त है।
- **अनुच्छेद 21:** बच्चों को जीवन जीने व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है।
- **अनुच्छेद 21क:** 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त हैं।
- **अनुच्छेद 24:** 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखाने, खदान या अन्य जोखिमपूर्ण व्यवसाय में काम पर प्रतिबंध है।
- **अनुच्छेद 39–(च)/एफ:** के अनुसार बच्चों को स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति में स्वस्थ विकास हेतु अवसर व सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और बचपन व युवा अवस्था को नैतिक व भौतिक दुरूपयोग से बचाया जाएगा।
- **अनुच्छेद 39–(ङ)/ई:** के अनुसार राज्य अपनी नीतियां इस तरह निर्धारित करेंगे कि श्रमिकों, पुरूषों और महिलाओं तथा कम उम्र के बच्चों का शोषण नहीं हो तथा वे अपनी उम्र व शक्ति के अनुरूप काम में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रवेश करें।
- **अनुच्छेद 45** राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु होने तक प्रारम्भिक देखरेख और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।
- **अनुच्छेद 243 छ तथा अनुसूची 11** शिक्षा, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं साफ–सफाई तथा बाल कल्याण को प्रभावित करने वाली अन्य मदों के अतिरिक्त महिला व एवं बाल विकास कार्यक्रमों को पंचायतों को सौंप कर बाल देखरेख को संस्थागत बनाने का प्रावधान किया गया है।

आजादी के बाद देश में विधि विरूद्ध बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण व सर्वप्रथम प्रयास शीला बर्से ने किया। उन्होंने देखा कि बाल अधिनियम 1960 के प्रभावशाली होने के बाद भी असंख्य बच्चे देश के कारागृहों में कैद थे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों के मध्यनजर शीला बर्से ने उच्चतम न्यायालय में 1986 में जनहित याचिका दायर की, उसमें कहा गया कि देश के सभी कारागृहों का निरीक्षण कराया जाये व पता लगाया जाये कि उसमें सोलह वर्ष से कम आयु के कितने किशोर बन्द है, उन्हें तत्काल कारागृहों से मुक्त कराया जाए तथा याचिकाकर्ता को देश के कारागृहों, बालगृहों, रिमाण्ड गृहों तथा सम्प्रेक्षण गृहों से सूचनायें प्राप्त करने की सुविधाये प्रदान की जायें।

उच्चतम न्यायालय ने इस जनहित याचिका को गम्भीरता से लिया व 13 अगस्त 1986 को अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए जो विधि विरूद्ध बच्चों के मानवाधिकारों के लिये मील के पत्थर बने। यही से भारत में उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु ध्यान दिया जाने लगा। इसके अंतर्गत निम्न प्रावधान किए गए:

1. बाल गृहों, सम्प्रेक्षण गृहों व सुधार गृहों के निरीक्षण का प्रावधान किया जाय तथा देखा जाये कि बच्चों को भोजन, शिक्षा आदि की समुचित व्यवस्था प्राप्त है या नहीं।
2. सुधार गृहो में बन्द बच्चों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए सप्ताह में एक बार दो अधिवक्ताओं को भेजने की व्यवस्था की जायें।
3. विधि विरूद्ध बच्चों को वयस्कों से अलग सुधार गृह में रखा जायें।
4. विधि विरूद्ध बच्चों के लिए अलग से किशोर न्यायालय स्थापित किया जायें।

न्यायालय द्वारा निर्देशित ये निर्णय विधि विरूद्ध बच्चों के अधिकारों के संरक्षण का पहला चरण था, तब से भारत में विधि विरूद्ध बच्चों के अधिकारों व मानवाधिकारों के संरक्षण की प्रणाली प्रारम्भ हुई।

व्यापक दृष्टि से देखें तो 1990 का दशक बाल अधिकारों की दिशा में काफी महत्वपूर्ण है। इस अवधि में बाल अधिकारों की सार्वभौमिक मान्यता की दृष्टि से राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता भरा प्रयास किया गया। स्मरणीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवम्बर 1989 में बाल अधिकारों पर एक समझौते को अंगीकृत किया तथा 1990 में बच्चों पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसके प्रावधानों को स्वीकृति प्रदान की गयी। इस समझौते में बच्चों के नागरिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकारों का विवेचन किया गया है।

सुझाव

आज के इस आधुनिक युग में विधि विरूद्ध बच्चों अर्थात् बाल अपराधियों द्वारा किये जाने वाले समाज विरोधी कार्य समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में, हमारे सम्मुख उभर कर सामने आ रहे हैं। बच्चे समय से पहले बड़े हो रहे है और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव बचपन जीवन चक्र से गायब होते जा रहा है। इस समस्या के समाधान हेतु बच्चों के जीवन–स्तर में बदलाव आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अपराध के कारण अबोध बच्चों को तिरस्कार का सामना करना पड़ता है साथ ही बच्चों को प्राप्त मानवाधिकार के साथ भी न्याय नहीं हो पाता। इस हेतु समाज विरोधी कार्यो पर नियंत्रण तथा बच्चों को प्राप्त मानवाधिकार सम्बंधित स्थितियों में बदलाव के लिए उपरोक्त सुझाव की आवश्यकता महसूस होती है, जिसका वर्णन इस प्रकार है:

- आज के इस बदलते परिवेश में बच्चों की भावनाओं पर नियंत्रण की आवश्यकता महसूस होती है। बच्चों की मानसिकता को समझने को लिए अभिभावको को, उनके आचार –विचार, रहन–सहन, को करीब से देखने व समझने की जरूरत है।
- किशोर अपराधियों के मामले निपटाने के लिए जहां विशेष न्यायालय नहीं है वहां उनकी स्थापना पर विचार किया जाना चाहिए।
- किशोर अपराध के मामले निपटाने के लिए नियुक्त सभी न्यायाधीशों को बाल अधिकारों, बाल मनोविज्ञान और सम्बद्ध क्षेत्रों में पर्याप्त अंतरक्षेत्रीय प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- राजकीय सम्प्रेक्षण गृह या किशोर गृहों में बच्चों के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था अनिवार्य रूप से हो, जिससे यहाँ से जाने के बाद वह समाज में अपने आप को स्थापित कर सके या मुख्यधारा मे आ सकें।

निष्कर्ष

बाल अधिकारों की उपलब्धता आज के इस भौतिकवादी युग में प्रासंगिक है। भविष्य का समाज निश्चय ही आज के बच्चों पर निर्भर रहेगा उनकी रक्षा व पूर्ण विकास सम्पूर्ण समाज के लिए एक चुनौती है। एक समर्थ, शक्तिशाली और कल्याणकारी समाज की परिकल्पना साकार करने के लिए बच्चों में निवेश हमारी विकास यात्रा का

मूल ध्येय हैं। वर्तमान में बच्चों के अधिकारों के प्रति हमारी संवेदनशीलता सामाजिक व सांस्कृतिक विकास हेतु आवश्यक है। भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 15, 24, 39(ङ), 39(च), 47 तथा 51(क) में विधि विरूद्ध बच्चों के अधिकारों के संबंध में प्रावधान किए गए है, जो सुखमय जीवन जीने हेतु आवश्यक है। लोकतांत्रिक मूल्यों की शुरूआत फ्रांसीसी क्रांति के गर्भ से मानी जाती है, जो किसी देश व समाज की प्रगति के आदर्श मानक होते हैं जो उसे सर्वसमावेशी, न्यायिक एवं लोकतांत्रिक बनाते हैं।

संदर्भ सूची

1. रानी, अल्का, किशोरावस्था शिक्षाः चुनौतियां और समाधान, I*nternational Journal For Innovative Research in Multidisciplinary Field*, Volume – 2, Issue – 7, ISSN – 2455-0620, July – 2016
2. मिश्र गिरीश्वर, बाल अधिकारः भावी समाज का सुदृढ़ आधार , मानवाधिकारः नई दिशायें, वार्षिक अंक–2, 2005, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।
3. *मानवाधिकार, नई दिशायें,* वार्षिक अंक–2, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली 2005।
4. मिश्रा. महेन्द्र कुमार, (2008) *भारत में मानवाधिकार,* आत्म राम एण्ड सन्स, जयपुर।
5. सिंह, संजय, (2010) *मानवाधिकार और दलित,* ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली,।
6. भसीन अनीश, (2011) *जानिए मानव अधिकारों को,* प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, ।
7. JT1986 136, 1986 SCAL (2) 230

****